

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	बलिया
I-	राज्य/संघशासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
II-	जिला	बलिया
III-	वन प्रभाग	बलिया वन प्रभाग
IV-	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	0.49 हे०
V-	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
VI-	हरियाली का घनत्व	0.3
VII-	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०-2 मी० पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मी० भी संलग्न किया जाय।	संलग्न है।
VIII-	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संवेदनशील नहीं है।
IX-	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल वन सीमा से अनुमानित दूरी	10 किमी० से दूर
X-	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी, कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयां अंकित की जाय)	नहीं
XI-	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जगत की दुर्लभ/संकटापन/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है, यदि हां तो सम्बन्धित ब्यौरा दे।	नहीं
XII-	क्या सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो, तो दे।	नहीं
8-	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है?	04 लेन ग्रीनफील्ड बलिया-गाजीपुर से बिहार सीमा तक (मांझीघाट) तक संरक्षित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बलिया

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बलिया

9-	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी कर रहे हैं।	नहीं
10-	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
I-	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी/भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार	04 लेन ग्रीनफील्ड बलिया-गाजीपुर से बिहार सीमा तक (मांझीघाट) तक के अन्तर्गत 0.49 हे० प्रभावित भूमि हेतु 1.0 हे० भूमि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मऊ द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है।
II-	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।
III-	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
IV-	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	संलग्न है।
V-	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभी निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाय)	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मऊ वन प्रभाग से बलिया वन प्रभाग को उपलब्ध करा दिया गया है।
11-	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-7 (XI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों की ओर दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है।
12-	विभाग/जिला प्रोफाइल	बलिया
I-	जिला का भौगोलिक क्षेत्र	2981 वर्ग किमी०
II-	जिले का वन क्षेत्र	157.94 किमी० (संरक्षित रेल पटरी) आरक्षित वन क्षेत्र- शून्य
III-	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	मामलों की संख्या-17, वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र- 106.4565 हे०
IV-	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	4.0 हे०

Docu Railway D.M File

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बलिया

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बलिया

A-	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	—
B-	वनेत्तर भूमि पर	—
V-	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	—
A-	वन भूमि पर	—
B-	वनेत्तर भूमि पर	4.0 हे०
13-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

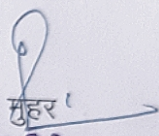
दिनांक —

स्थान — बलिया


 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 बलिया

हस्ताक्षर

नाम


 प्रमुख निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 बलिया